न्यायालय श्रीमान् सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश·
= =

स्व·प्रेरणा निग·क्रं :- R-2011-II/12 सन् 2012

अजय भूषण सिंह तनय स्व·हरीकेश सिंह
निवासी वार्ड नंबर 37, म·नं· 18, न्यू कालोनी,
छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म·प्र· .. निगरानीकर्ता

बनाम

1· मंगल सिंह तनय बल्लू सिंह ठाकुर
2· देव सिंह तनय बल्लू सिंह ठाकुर
दोनों निवासीगण वार्ड नं· 37, न्यू कालोनी,
छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म·प्र·
3· म·प्र·शासन ..उत्तरार्थीगण

विषय- आवेदन पत्र स्वप्रेरणा निगरानी अन्तर्गतधारा 50
म·प्र·भू·राजस्व संहिता 1959·
= =
न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा
पुनरीक्षण क्रं· 555/अ-46/04-05 में पारित आदेश
दिनांक 25·06·06 से दुखित एवं परिवेदित होकर·
= =

मान्यवर,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करता है:-

स्वप्रेरणा निगरानी के तथ्य
= = = = = = = = = = =

1· यह कि प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन भूमियाँ खसरा नम्बर 219 लगायत 223 कित्ता 05 स्थित ग्राम नारायणपुरा तहसील व जिला छतरपुर म·प्र· वर्ष 1977-78 केपूर्व से सदाशिव भार्गव के नाम व 1977-78 से सदाशिव भार्गव से निलिन्द भार्गव के नाम वर्ष ~~87~~ 86-87 तक भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जैसा कि 1977-78 से ~~86~~ के ~~व~~ 86-87 के सन के खसरों से प्रमाणित है ।

2·

..2

क्रमांक 1621
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 14-6-12 को प्राप्त
क्लर्क
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जिला छतरपुर म.प्र.
प्रस्तुतकर्ता का नाम
शाखा का नाम
दिनांक

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2011–दो/12 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक आदि हस्ताक्षर
7 .10.16	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 555/अ–46/2004–05 मे पारित आदेश दिनांक 25.03.2006 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व सहिंता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन भूमियां खसरा नंम्वर 219 लगायत 223 किता 05 रकवा 5.106 स्थित ग्राम नारायणपुरा तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 वर्ष 1977–78 के पूर्व से सदाशिव भार्गव के नाम व 1977–78 से सदाशिव भार्गव से मिलिन्द भार्गव के नाम वर्ष 86–87 तक भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखो मे दर्ज थी तथा वर्ष 82–83 की किशतवंदी खतौनी मे फर्जी टीप अंकित कर तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण कमांक 32/अ–46/81–82 मे पारित आदेश दिनांक 01.07.83 के तहत संहिता की धारा 190 के तहत मिलिन्द तनय सदाशिव भार्गव के बजाय अनावेदक मंगल सिंह (जो वर्तमान प्रकरणर मे मृत)तनय बल्दू सिंह ठाकुर निवासी छतरपुर के नाम दर्ज लेख है । इसी कूटरचित तत्यों को आवेदक अजय भूषण सिंह ने शिकायती आवेदन कलेक्टर छतरपुर को देकर अवगत कराया था । कलेक्टर ने अतिरिक्त कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रेषित परीक्षण प्रतिवेदन तलव किया और अतिरिक्त कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रेषित परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2002 व उसके साथ प्राप्त संलग्न	

प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया । कलेक्टर छतरपुर ने प्रश्नाधीन भूमियो की जांच कराने के बाद विधिवत प्रकरण को स्वप्रेरण मे लेकर स्वप्रेरण निगरानी प्र0क0 13/स्व0प्रे0निग0/03–04 पंजीवद्व किया । जांच प्रतिवेदन मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि प्रश्नाधीन भूमियों का स्वामी लावल्द फौत हुआ तथा तत्कालीन वर्ष के खसरों मे अंकित न होकर किश्तवंदी खतौनी वर्ष 82–83 मे फॅर्जी प्रतिवष्टि से फर्जी स्वत्व अंकित कराया जाकर विकय विलेख क0 2975 दिनांक 11.09.83 का निष्पादन व नामांतरण पंजी कमांक 9 दिनांक 13.12.83 से फर्जी तरीके से स्व0 मंगल सिंह के बजाय सगे भई केता देव सिंह के नाम भूमि फर्जी दर्ज की गई । तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्र0क0 22/अ–46/81–82 मे पारित आदेश दिनांक 01.07.83 के अंतर्गत धारा 190 भू–राजस्व संहिता के प्रावधानो के अनुसार अनावेदक कमांक 01 को भूमिस्वामी स्वत्व पर विधिवत कार्यवाही की जाकर दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया जिसके परिपालन मे अनावेदक मंगल सिंह ने मुआवजे की राशि 340.90रूपये जरिये चालान दिनांक 25.08.83 को जमा कर दी थी ओर तभी से उसका नाम वादगृस्त भूमि पर बहैसियत भूमिस्वामी राजस्व अभिलेख दर्ज हो गया था। अनावेदक कमांक 0 मंगल सिंह ने उक्त भूमि मे से ख0 न0 219, 220, 223 जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 11.11.83 से अनावेदक कमांक 02 को विकय कर कब्जा व दखल दे दिया जिस पर अनावेदक देवसिंह का नाम राजस्व अभिलेख मे भूमिस्वामी अंकित हो गया । तभी से दोनो अनावेदकगण अपने–अपने हिस्से पर बहैसियत भूमिसमी आधिपत्यधरी रहकर कास्त करते चले आ रहे है । अनावेदक कमांक 01 से रंजिशाी व्यक्ति आवेदक अजय भूषण सिंह द्वारा एक झूठी एवं बनावटी शिकायत दिनांक 24.10.97 के आधार पर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरण निगरानी मे लिया जाकर आदेश दिनांक 13.04.2005 पारित किया जिसमे भूमि समी सदाशिव

भार्गव द्वारा कोई आपत्ति न होने के वादजूद अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेख मे भूमिस्वामी से समाप्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि पर म0प्र0 राजस्व का नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया गया । निगरानी के आधारो मे लेख किया है कि अधीनस्थ कलेक्टर का आदेश अतिरिक्त कलेक्टर के प्रतिवेदन पर आधारित है, उक्त प्रतिवेदन अतिरिक्त कलेक्टर ने वादग्रस्त भूमि पर मिलिन्द भर्गव के जाय मंगल सिंह के नाम नामांतरण होना तथा मंगल सिंह का काबिज होना स्वीकार किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये निर्णय पारित किया है । इसी आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त सागर संभग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 555/अ—46/2004—2005में दर्ज होकर आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है ।

3— आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि कथित आदेश दिनांक 25.03.06 की जानकारी दिनांक 07.05.12 को लगने पर उसी दिन आवश्यक नकल आवेदन प्रस्तुत करने पर यह नकल प्राप्त होने के बाद विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह ली एवं उक्त आदेश के संबंध मे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं कलेक्टर छतरपुर को लिखित आवेदन स्वप्रेरण निगरानी प्रस्तुत करने हेतु देने पर कलेक्टर से सहमति मिलने के बाद यह स्वप्रेरणा निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी दिनांक से समय अवधि के अंदर है । अधीनस्थ न्यायालय के कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.05 का सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया न ही संलग्न प्रतिवेदन का अध्ययन किया । वादग्रस्त भूमि कोई विधिक वारिस न होने के कारण वह शासन मे निहित हो चुकी थी फिर दूसरी जाति के व्यक्ति को किस प्रकार वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी के अधिकार मिले यह जांच का विषय है एवं कलेक्टर ने सम्पूर्ण जांच प्रतिवेदन तलब करने के बाद तहसीलदार

का आदेश दिनांक 01.07.83 पूर्णतः अवैध मानते हुये कलेक्टर ने विधि अनुसार आदेश पारित किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने शासन के हितो को अनदेखा करते हुये विधि के विरूद्व आदेश पारित करने मे भूल की है । उनके द्वारा तर्क मे यह भी कहा गया है कि अनावेदकगण आपस मे सगें भाई हैं । जिन्होने कूट रचना करके तहसीलदार से सांठ गांठ करके विधि के विपरीत आदेश दिनांक 01.07.83 पारित कराया था जो गुप चुप तरीके से बिना कोई इश्तहार जारी किये व हितवद्व पक्षकारो को व सर्वसाधारण को सूचना दिये बिना, पारित किया गया था । इसलिये तहसीलदार का आदेश कतई स्थिर रखे जाने योग्य नही है । आवेदक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था, इसलिये उक्त आदेश की जानकारी नही हो सकी ओर जैसे ही जानकारी मिली उसकी नकल प्राप्तकर कलेक्टर से मौखिक सहमति लेकर एवं पत्राचार करके यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है । जिसे स्वप्रेरणा मे लिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है ।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ताओं द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5– मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का भलीभांति परिशीलन किया गया, जिसमें दिनांक 24.10.97 को कलेक्टर छतरपुर के समक्ष आवेदक अजय भूषण सिंह ने शिकायत की, कि देवसिंह ने ग्राम नारायणपुरा मे विवादित भूमि अपने भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करा ली, जिसके आधार पर जांच प्रारंभ की गई । अभिलेख मे पृष्ठ 31 पर संलग्न बैनामा जो देवसिंह ने मंगलसिंह ठाकुर से दिनांक 11.11.83 को कराया था । उक्त भूमि, भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि थी, जिसके आधार पर नायब

तहसीलदार ने नामांतरण आदेश पारित किया । उक्त नामांतरण आदेश की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख मे पृष्ठ 261 पर संलग्न है । शिकायती आवेदन पत्र की जांच मे अपर कलेक्टर छतरपुर ने 13.11. 2002 को जो परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है , उसमे स्पष्ट है कि वर्ष 1982—83 से 86—87 के खसरों मे वादग्रस्त खसरा नंबर पर अतिक्रामक अंकित नही है । वल्कि अनावेदक भूमिस्वामी का नाम पूर्ववत दर्ज है । कलेक्टर छतरपुर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 24.07.2002 के आधार पर प्रकरण स्वप्रेरण मे लिया गया । प्रकरण में नामांतरण का आदेश दिनांक 01.07.83 को किया गया जिसके विरूद्व किसी भी पक्षकार या पीड़ित पक्षकार ने कोई अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुत नही किया । उक्त प्रकरण को कलेक्टर छतरपुर ने अभिलेखागार से बुलाने के लिये पत्र लिखा, परन्तु अभिलेखागार मे रिकार्ड नही मिला । दायर पंजी रजिस्टर मे प्र0क0 22/अ—6/81—82 मे मंगल सिंह के नाम से प्रकरण पंजीवद्व है । राजस्व अभिलेख अपीलीय अवधि निकलने के पश्चात 10 से 15—20 वर्ष की अवधि के पश्चात नष्ट कर दिया जाता है और 19 साल पश्चात प्रकरण स्वप्रेरण मे लिया गया, जो कि विधि के विरूद्व है । इस संबंध मे एम0पी0बी0नो0 1998 नोट नं0 26 सुप्रीम कोर्ट जिसमे स्वप्रेरण के प्रकरण मे एक वर्ष युक्तियुक्त समय के भीतर कार्यवाही प्रारंभ की जाना थी । इस प्रकरण मे 19 साल पश्चात नामांतरण आदेश निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है । माननीय उच्चतम न्याालय के न्यायिक दृष्टांत—विधि भस्वर 1992 विभ—5 कांतिलाल तथा अन्य विरूद्व शांतिलाल व अन्य प्रस्तुत किया गया । जिसके अनुसार भू—राजस्व संहिता 1959 मे नामांतरण लम्बे काल तक अपेक्षित नही किया गया । 17 वर्ष बीत जाने के पश्चात नामांतरण मे हस्ताक्षेप नही किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं

तथ्यों का निष्कर्ष विधि के विरूद्व निकाला है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है । इस आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.3.2006 मे की है । मे अपर आयुक्त सागर के इस आदेश से सहमत हू । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 25.03.2006 स्वतः बोलता हुआ आदेश है । उन्होने इस आदेश के द्वारा राजस्व अभिलेखो का परिक्षण करते हुये कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 13.04.2005 निरस्त करते हुये तहसीलदार छतरपुर का आदेश दिनांक 01.07.83 स्थिर रखा है । जिसमे कोई अबैधानिकता परिलक्षित नही होती है । ऐसी स्थिति मे अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के तथाकथित आदेश दिनांक 25.03.2006 मे हस्ताक्षेप करने की कोई अवश्यक्ता नही जान पड़ती ।

6– उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2006 स्थिर रखा जाता है । उभय पाक्षकार सूचित हो इस आदेश पत्रिका की प्रतिलिपि के साथ अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जाए । तत्पश्चात् प्रकरण समाप्त होकर दा0 रि0 किया जाये ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य